न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

आदेश पत्रक

जिला – गुमला | वाद सं०– 15/2019–20

केस का प्रकार – **नीलाम पत्र**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी एवं तारीख
	बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर **बनाम** **मो० अखतर** .... **विपक्षी** अधियाची पदाधिकारी **शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा** से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम–पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें **मो० अखतर, पिता– अब्दुल गफ्फार,** ग्राम– बरवेनगर, पोस्ट– बरवेनगर, थाना– चैनपुर, जिला– गुमला के विरूद्ध देनदार दिखाते हुए राशि– **1,91,199.00** रूपये पर बकाया राशि दर्शाया गया है। उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक– 7098(ii)/गो० दिनांक– 14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 250000.00 रूपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के निस्तारण के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है। अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०– 15/2019–20 को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है। लेखापित एवं सशोधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।	

Digitally signed by KANCHAN SINGH
Date: 2025.02.24 11:55:58 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner